उच्चतर शिक्षा निदेशालय,

हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171001

प्रैस विज्ञप्ति – 2013–14

उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को यह सूचित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, कि दिनांक 25.03.2013 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा सैन्टर फॉर गुड गर्वनैन्स, हैदराबाद, द्वारा तैयार की गई ई–पास (Electronic Payment & Application System of Scholarships) की सुविधा, http//www.hpepass.cgg.gov.in वैबसाईट के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश के लिये उपलब्ध करवाई गई है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 से ई–पास वैबसाईट को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है और जुलाई 2013 से यह वैबसाईट पूर्ण रूप से कार्यात्मक हो जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा नौवीं से पी0एच0डी0 (इसमें व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं) तक के छात्र/छात्राओं के लिए चलाई जा रही सभी छात्रवृति योजनाओं (विकलांग तथा अल्प सख्यंक वर्ग की छात्रवृति योजनाओं को छोड़कर) को इस साफ्टवेयर/वैबसाईट (http//www.hpepass.cgg.gov.in) के अर्न्तगत लिया जायेगा, जिस के तहत आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान की सहायता से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से लेकर डी0बी0टी0 द्वारा छात्रवृति की राशि की प्राप्ती तक के सभी चरण सम्मिलित होगें।

ई–पास के आरम्भ होने से विभाग द्वारा सन्चालित की जा रही सभी छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को समयबद्ध तरीके से छात्रवृति की राशि, सिधे उन के बैक खातों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा, जिस से पात्र छात्र/छात्राओं को कई महीनों तक चैक/ड्राफ्ट का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा तथा इस सुविधा से एक छात्र को दोहरे आबंटन या एक छात्र को दो योजनाओं के तहत दोहरा लाभ लेने से भी रोका जा सकेगा। इस योजना का लाभ राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे पात्र छात्र/छात्राओं को भी मिलगा क्योंकि छात्र/छात्रा किसी भी स्थान से उक्त वैबसाईट के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाईन भर पायेंगें। ई–पास जैसी सुविधा आज के कम्पयूट्रीकृत युग की भी मागं है, जिस से समय रहते प्रार्थी को लाभ पहुचाया जा सकें। उक्त सुविधा से अनावश्यक पत्राचार व स्टेशनरी पर आ रहे खर्च को भी कम किया जा सकेगा।

संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे वर्ष 2013–14 के सभी सम्भावित लाभार्थियों को किसी AADHAAR Payment Bridge System (APBS) सक्षम बैंक में खाता खोलने और उस खाते को अपने आधार(AADHAAR) से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें (इसके लिए लाभार्थि को चाहिये कि वह अपने आधार कार्ड की छायाप्रति सम्बन्धि बैंक शाखा में जमा करवाए)। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभार्थि द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने और उस आवेदन पत्र के सत्यापन के उपरान्त, छात्रवृति की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अविलम्ब लाभार्थि के बैंक खाते में स्थानान्त्रित की जा सके।

सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लाभार्थियों की सूचियां, जिन्हें कि डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से छात्रवृति की राशियां प्रदान की गई हैं, ई–पास वैबसाईट http//www.hpepass.cgg.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। इसलिए, सभी सम्बन्धित संस्थान प्रमुखों से आग्रह है कि वह उन सूचियों की जांच और निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें, कि छात्रवृति की राशियां सूची में दर्शाए गए सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में वास्तविक रूप में जमा हुई है या नहीं। यदि किसी लाभार्थी के बैंक

खाते में छात्रवृति की राशि जमा न हुई हो, तो उसे सम्बन्धित बैंक से इसे सत्यापित करने हेतु प्रमाण पत्र ले कर उसे अपने संस्थान में जमा करवाना होगा। संस्थान ऐसे सभी लाभार्थियों की संकलित सूची सम्बन्धित बैंक से प्राप्त संशोधित बैंक सूचना/उचित टिप्पणी व अन्य अपेक्षित सूचना सहित सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक/इस निदेशालय को (जो भी उपयुक्त हो) निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करें। संस्थान प्रमुख सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक/इस निदेशालय को एक प्रमाण पत्र भी प्रषित करेंगे, जिसमें यह सत्यापित होगा कि छात्रवृति की राशियां सूची में दर्शाए गए सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो चुकि है।

विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले पात्र छात्र/छात्राओं की वरियता सूचियां, जो कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2013–14 में सन्चालित विविध मेधावी छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन कर पायेंगे, शीघ्र ही ई–पास वैबसाईट http//www.hpepass.cgg.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी (जैसे ही यह सूचियां हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, एवम् ह0प्र0 विश्वविद्यालय से प्राप्त होती हैं)।

सभी संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने संस्थान सम्बन्धि सूचना निम्न प्रपत्र पर शीघ्र अतिशीघ्र सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (राज्य के सभी विधालय) और इस निदेशालय को (राज्य में और राज्य से बाहर के सभी महाविधालय/अन्य संस्थान) भिजवाऐं, जिससे कि यह सूचना ई–पास साफ्टवेयर/वैबसाईट के डेटाबेस में सम्मिलित की जा सके।

Proforma (Excel Format) for Submission of Details in r/o the Institute

S. N.	Name of Institute	Type of Institution (Govt./ Govt. Aided/ Private)	District Name	Block Name	Classes/ Courses run by the Institute	Bank Account Details of Institution			e-Mail address of the Institute / Officer Incharge	Mobile No. of the Head of Institute / Officer Incharge (Exact 10 Characters)	Land Line No. of the Institute (with STD Code)
						Acc. No.	Bank & Branch Name	IFS Code (Exact 11 Char-acters)			

टिप्पणी 1:– सभी मद (All fields except Land Line No.) अनिवार्य हैं।

टिप्पणी 2:– मोबाईल नं0 या ई–मेल पते में काई भी परिवर्तन होने पर, इस निदेशालय को तुरन्त सूचित करें, क्योंकि इन दो अनिवार्य मदों के बिना यह प्रणाली कार्य नहीं करेगी।

टिप्पणी 3:– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/संस्थान, अपने अधिनस्थ सभी संस्थानों की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में इस निदेशालय को प्रक्षित करें।

टिप्पणी 4:– यदि काई संस्थान ई–पास साफ्टॅवेयर/वैबसाईट के डेटाबेस में सम्मिलित नहीं होता है, तो उस संस्थान का कोई भी विद्यार्थी छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगा।

टिप्पणी 4:– काई भी संस्थान ई–पास साफ्टॅवेयर/वैबसाईट के डेटाबेस में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संस्थान की सम्पूर्ण वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर मुहैया नहीं करवाई जाती। इस कारण यदि किसी संस्थान का कोई विद्यार्थी छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाता है, तो उस संस्थान–प्रमुख एवम् छात्रवृति प्रभारी को उत्त्रदायी समझा जाएगा और ऐसे सभी विद्यार्थियों की छात्रवृति राशि उन दानों से वसूली जाएगी।

यदि किसी संस्थान में कम्पयूटर या ईंटरनेट की सुविधा न हो तो उस संस्थान प्रमुख की जिम्मेवारी होगी की वह उस संस्थान के सभी पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने के लिए, अपने अधिनस्थ छात्रवृति सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी को निकट के क्लस्टर विद्यालय/अन्य विद्यालय/ लोक मित्र केन्द्र/सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करे।

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करते समय छात्र/छात्राओं से वांछित दस्तावेज़ निम्न प्रकार से हैं:–

- ✓ ***Passport Size Photo (in all Scholarship Schemes)***
- ✓ ***AADHAAR Card (in all Scholarship Schemes)***
- ✓ ***Himachali Bonafide Certificate (in all Scholarship Schemes)***
- ✓ ***Previous Year(s) Result Card(s) from Matric onwards (in all Scholarship Schemes)***
- ✓ ***Latest Bank Statement of the Student's Bank Account (in all Scholarship Schemes)***
- ✓ *Caste Certificate (in case of Caste / Category based Scholarship Schemes only)*
- ✓ *Income Certificate issued by the Competent Authority (Not below the rank of Tehsildar) (in case of Income based Scholarship Schemes only)*
- ✓ *I.R.D.P. / B.P.L. Certificate (in case of I.R.D.P. / B.P.L. Scholarship Scheme only)*
- ✓ *Gap Year Affidavit, for Post Matric Scholarship Scheme for SC / ST / OBC Students (in Original) (in case of any break in Study)*
- ✓ *Fee Structure approved by the University / Board / State Govt. / Centre Govt. (in case of Post Matric Scholarship Scheme for SC / ST / OBC Students, only)*
- ✓ *Fee Payment Receipts (in case of Post Matric Scholarship Scheme for SC / ST / OBC Students, only)*
- ✓ *Selection Letter (in case of selection of a Student in IITs / IIMs / AIIMS)*
- ✓ *And all other relevant documents, as per the requirements of the concerned scheme.*

छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन पंजिकरण करने/आवेदन पत्र जमा करने/ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति निकालने के लिए क्रमवार निर्देश:–

1. *Student Online Registration would commence from 8th July, 2013.*
2. *Log on to the ePass website at http://hpepass.cgg.gov.in.*
3. *Click on the "**Apply Online**"* 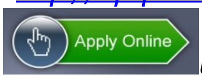

button below Official login.
4. *Read the Instructions carefully and Mark the checkbox at the end of the page certifying "**I have read the Instructions. Proceed to Registration / Login Page.**"*
5. *First time users click on "**Register**", which would take you to the "**Student Registration Form**".*
6. *Enter your basic details (like AADHAAR No. (UID), Name, Date of Birth, Father & Mother Name, Category, Mobile No. & eMail) on the form, match the Security Captcha, and Click on "**Register**". **(Please note that either Mobile No. or eMail address, would be mandatory, as the computer generated Password would be sent through SMS / eMail on Registration).***
7. *Once registered, then enter your login details "**Login Id/ AADHAAR & Password**", and click on "**Login**".*
8. *After Login, the student needs to fill the various details in the following order:*
   - *(a) Primary Details*
   - *(b) Candidate Details*
   - *(c) Present Institution Details*
   - *(d) Contact Details*

(e) Bank Details

(f) Certificates Details

9. The Student can edit / update or fill his form in parts, then take a printout of Online Application Form, and submit the same along with the Scheme Specific Document(s) to the respective Institution, within the stipulated time as mentioned in the Schedule above.
10. After successful submission of his Online Application Form, it would be automatically forwarded to his Institute for verification.
11. After that the Student can check the status of his online application, any time, by loging in at the ePass Website, and keep a track of all progress.

ई–पास वैबसाईट के माध्यम से छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार है: –		
क्र0 सं0	**कार्य**	**अंतिम तिथि**
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृति हेतु पंजिकरण/ऑनलाईन आवेदन करने तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति (सभी वांछित दस्तावेजों के साथ) सम्बन्धित संस्थान में जमा करवाने की अंतिम तिथि।	15–08–2013
2.	संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की ऑनलाईन जांच करने के पश्चात् उन्हें सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (राज्य के सभी सरकारी/गैर–सरकारी विधालय) या इस निदेशालय को (सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान/अन्य संस्थान) ऑनलाईन भिजवाने की अंतिम तिथि।	31–08–2013
3.	संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विधिवत हस्ताक्षरित मुद्रित प्रतियां सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (राज्य के सभी सरकारी/गैर–सरकारी विधालय) या इस निदेशालय को (सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान/अन्य संस्थान) भिजवाने की अंतिम तिथि। **<u>टिप्पणी:–</u>** उप शिक्षा निदेशक तथा राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विधिवत हस्ताक्षरित मुद्रित प्रतियां उन्ही के कार्यालय में रखी जाएगी।	05–09–2013
4.	उप शिक्षा निदेशक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की ऑनलाईन जांच करने के पश्चात् उन्हें इस निदेशालय को ऑनलाईन भिजवाने की अंतिम तिथि।	20–09–2013

उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित राज्य एवम् केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाऐं सन्चालित की जानी हैं, जिस के लिए हिमाचल के स्थाई निवासी छात्र/छात्राओं की विभिन्न श्रेणियों से, अध्ययन में अपनी योग्यता/निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ई–पास वैबसाईट http//www.hpepass.cgg.gov.in पर छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निर्धारित सारणी अनुसार, आमन्त्रित किए जा रहे हैं को कार्यान्वित किया जा रहा है। पात्र लाभ भोगी राज्य में/राज्य से बाहर किसी सरकारी/सरकारी अनुदान/सम्बद्धः संस्थान का नियमित/दूरवर्ती विद्यार्थी होना चाहिए।

राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाऐं

1. डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृतिः–

यह छात्रवृति 10+1 कक्षा के अलग–अलग 1000 अनुसूचित जाति तथा 1000 अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं को दी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों और हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने–अपने वर्ग में शीर्ष के 1000 स्थान प्राप्त करते हैं, तथा राज्य में या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेते हैं (इसमें व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं)।

10+2 कक्षा में इस छात्रवृति का नवीनीकरण 10+1 कक्षा/पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के आन्तरिक परीक्षा में संतोशजनक परिणाम पर निर्भर करेगा। यह छात्रवृति ₹10000/– प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

2. स्वामी विवेकानन्द छात्रवृतिः–

यह छात्रवृति 10+1 कक्षा के 1000 सामान्य वर्ग के ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं को दी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों और हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में सामान्य वर्ग में शीर्ष के 1000 स्थान प्राप्त करते हैं, तथा राज्य में या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेते हैं (इसमें व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं)।

10+2 कक्षा में इस छात्रवृति का नवीनीकरण 10+1 कक्षा/पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के आन्तरिक परीक्षा में संतोशजनक परिणाम पर निर्भर करेगा। यह छात्रवृति ₹10000/– प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

3. ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृतिः—

यह छात्रवृति 10+1 कक्षा के अनुसूचित जन—जाति के 200 ऐसे मेधावी छात्र/छात्राओं को दी जाती है (100 छात्र तथा 100 छात्राएं), जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों और हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने—अपने वर्ग में शीर्ष के 100 स्थान प्राप्त करते हैं, तथा राज्य में या राज्य से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेते हैं (इसमें व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान भी सम्मिलित हैं)।

10+2 कक्षा में इस छात्रवृति का नवीनीकरण 10+1 कक्षा/पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष के आन्तरिक परीक्षा में संतोशजनक परिणाम पर निर्भर करेगा। यह छात्रवृति ₹11000/— प्रति वर्ष की दर से दी जाती है।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

4. महर्षि वाल्मीकि छात्रवृति योजनाः—

यह छात्रवृति अस्वच्छ व्यवसाय मे लगे बाल्मीकि परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी स्थाई हिमाचली छात्राओं को ₹9000/— प्रति वर्ष की दर से, मैट्रिक के बाद महाविद्यालय स्तर तक के अध्ययन तथा व्यवसायिक पाठयक्रमों मे अध्ययन करने के लिए यह छात्रवृति दी जाती है, जो कि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हों।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

5. इन्दिरा गांधी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजना जमा दो श्रेणीः—

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित वार्षिक +2 परीक्षा की मैरिट सूचि में प्रथम 10 स्थान ***(First ten toppers each from 10+2 Arts, Science & Comm.)*** प्राप्त किये हों और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय द्वारा सचांलित की गई वार्षिक स्नातक परीक्षा की मैरिट सूचि में प्रथम 10 स्थान ***(Ten toppers each from BA, BSc. & B Com. Final)*** प्राप्त किये हों और किसी शैक्षणिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम ***(academic / professional course)*** में

प्रवेश लिया हो। यह छात्रवृति ₹10000/— प्रति वर्ष की दर से दी जाती है। यह छात्रवृति 10+2/स्नातक के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए देय होगी।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा रिकॉर्ड के लिए, अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा (यदि सरकारी महाविद्यालय हो) या उसे इस निदेशालय को (यदि विश्वविद्यालय/निजी महाविद्यालय/व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान/अन्य शिक्षा संस्थान हो) प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

6. राष्ट्रीय इडियन मिलिट्री कालेज छात्रवृति योजना (आर0आई0एम0सी0):—

यह छात्रवृति दस स्थाई हिमाचली निवासी केडेट/छात्रों को आठवी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दी जाती है, जो कि राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज (आर0आई0एम0सी0), देहरादून में अध्ययनरत हों। प्रत्येक कक्षा से दो छात्रों को यह छात्रवृति मिलती है। छात्रवृति की राशि ₹20000/— प्रतिवर्ष है।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

7. आई0आर0डी0पी0 छात्रवृति योजना:—

यह छात्रवृति आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 परिवारों से समबन्ध रखने वाले, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है जो नौवीं से विश्वविद्यालय स्तर तक राज्य के किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शिक्षा संस्थान मे अध्ययन कर रहे हों।

छात्रवृति की दर			
कक्षा		छात्र	छात्रा
9वीं — 10वीं		₹300/— प्रतिमाह	₹600/— प्रतिमाह
+1 एवं +2		₹800/— प्रतिमाह	₹800/— प्रतिमाह
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय	दिवा छात्र/छात्रा	₹1200/— प्रतिमाह	₹1200/— प्रतिमाह
	छात्रावासी छात्र/छात्रा	₹2400/— प्रतिमाह	₹2400/— प्रतिमाह

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा रिकॉर्ड के

लिए, अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा (यदि सरकारी महाविद्यालय हो) या उसे सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (यदि सरकारी विद्यालय हो) और इस निदेशालय को (यदि विश्वविद्यालय हो) प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

8. विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः—

विभिन्न संक्रियाओं/युद्धो के दौरान मारे गए/अंपग हुऐ सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। ऐसे मामलों में जिन सैनिकों की अपंगता 50 प्रतिशत से कम होती है, उनके बच्चों को उक्त योजना के अन्तर्गत आधी छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्रवृति प्रदान करने हेतू पात्र विद्यार्थी को ऑनलाईन आवेदन अपनी संस्था के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के माध्यम से करना होगा।

संस्थान ऑनलाईन आवेदन सम्बन्धित जिला के सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रेषित करेगा। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा छानबीन के उपरान्त शिक्षा निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित किया जाएगा।

छात्रवृति की दर			
कक्षा		छात्र	छात्रा
9वीं – 10वीं		₹300/– प्रतिमाह	₹600/– प्रतिमाह
+1 एवं +2		₹800/– प्रतिमाह	₹800/– प्रतिमाह
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय	दिवा छात्र/छात्रा को	₹1200/– प्रतिमाह	₹1200/– प्रतिमाह
	छात्रावासी छात्र/छात्रा को	₹2400/– प्रतिमाह	₹2400/– प्रतिमाह

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच हेतु सम्बन्धित उप निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रेषित करेगा, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

9. सैनिक स्कूल छात्रवृतिः—

यह छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा, हमीरपुर, में अध्ययनरत, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। पात्र छात्र/छात्राओं का चयन सम्बन्धित पाठशाला के प्रधानाचार्य द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। यह छात्रवृति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है।

छात्रवृति की दर		
क्र0 सं0	***आय वर्ग***	***दर***
i.	*₹9220/– प्रतिमाह तक*	*₹18000/– प्रतिवर्ष*
ii.	*₹9221/– से ₹10650/– प्रतिमाह तक*	*₹15000/– प्रतिवर्ष*
iii.	*₹10651/– से ₹11470/– प्रतिमाह तक*	*₹12000/– प्रतिवर्ष*
iv.	*₹11471/– प्रतिमाह से अधिक*	*₹8000/– प्रतिवर्ष*

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

10. एन0डी0ए0 छात्रवृति योजनाः–

यह छात्रवृति राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन0डी0ए0), खडकवासला, पूना, में ट्रेनिंग ले रहे हिमाचल प्रदेश के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।

छात्रवृति की दर			
' आय वर्ग ' → / *विवरण* ↓	*निम्न*	*मध्यम*	*उच्च*
प्रारम्भिक एकमुशत वस्त्र अनुदान (प्रति कैडेट)	*₹3000/–*	*₹2250/–*	*₹1500/–*
प्रथम से तृतिय वर्ष के हर छह माही सत्र के लिए जेब खर्च भत्ता	*₹1500/– प्रति सत्र*	*₹1200/– प्रति सत्र*	*₹900/– प्रति सत्र*
कुल योग	***₹12000/–***	***₹9450/–***	***₹6900/–***

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

11. कल्पना चावला छात्रवृति योजनाः–

यह छात्रवृति योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10+2 की 2000 मेधावी छात्राओं को योग्यता के आधार पर ग्रुप वाईज, सांईस, कला और वाणिज्य संकाय के उतीर्ण अनुपातानुसार, हि. प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, कांगड़ा, द्वारा जारी की गई मैरिट सूचि के आधार पर,

₹15000/– की राशि प्रदान की जाएगी तथा नवीनीकरण की राशि पाठ्यक्रम के समाप्त होने तक प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा रिकॉर्ड के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदानः–

यह अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी अनु0 जाति/अनु0 जन–जाति की उन छात्राओं को देय है, जिन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो और उस वर्ष की 31 मार्च को 16 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा अविवाहित हो। अनुदान की राशि ₹3000/– मियादी जमा खाते के रूप में होगी, जो कि छात्रा के 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर देय होगी बशर्ते उसने किसी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 2 वर्ष तक नियमित शिक्षा प्राप्त की हो और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली किसी भी जाति/धर्म की छात्रा इस अनुदान की पात्र है।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

2. अनुसूचित जाति वर्ग के लिये पूर्व–मेट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 9वीं एवं 10वीं):–

यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो। छात्रवृति का नवीनीकरण छात्र/छात्रा के अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति एवं 9वीं कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात देय होगा।

छात्रवृति की दर		
विवरण	दिवा छात्र/छात्रा को	छात्रावासी छात्र/छात्रा को
एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति	*₹150/– प्रतिमाह*	*₹350/– प्रतिमाह*
पुस्तक एवं तदर्थ भत्ता	*₹750/– प्रतिवर्ष*	*₹1000/– प्रतिवर्ष*

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

3. अनुसूचित जन–जाति वर्ग के लिये पूर्व–मेट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 9वीं एवं 10वीं):–

यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जन–जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो। छात्रवृति का नवीनीकरण छात्र/छात्रा के अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति एवं 9वीं कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात देय होगा।

छात्रवृति की दर		
विवरण	दिवा छात्र/छात्रा को	छात्रावासी छात्र/छात्रा को
एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति	*₹150/– प्रतिमाह*	*₹350/– प्रतिमाह*
पुस्तक एवं तदर्थ भत्ता	*₹750/– प्रतिवर्ष*	*₹1000/– प्रतिवर्ष*

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

4. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पूर्व–मेट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा पहली से 10वीं):–

यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में पहली से 10वीं कक्षा तक अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹44500/– से अधिक न हो। छात्र/छात्रा को पहली से 5वीं कक्षा तक ₹25/– प्रतिमाह, 6ठी से 8वीं कक्षा तक ₹40/– प्रतिमाह, तथा 9वीं एवं 10वीं कक्षा तक ₹50/– प्रतिमाह की दर से, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति देय होगी। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ₹500/– की तदर्थ राशि भी देय होगी।

Rates of Scholarship			
Type	Class	Rate (p.m.)	Ad-Hoc Grant (p.a.)
Day Scholars	1st to 5th	₹25/-	₹500/-
	3rd to 8th	₹40/-	₹500/-
	9th & 10th	₹50/-	₹500/-
Hostellers	3rd to 8th	₹200/-	₹500/-
	9th & 10th	₹250/-	₹500/-

केवल कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृति के अर्न्तगत ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कक्षा पहली से 8वीं तक, पहले की ही तरह उप शिक्षा निदेशक, विद्यालयों और खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से बजट मांगे एकत्रित कर, अपने जिला की संकलित बजट मांग इस निदेशालय को 15–09–2013 से पहले, स्पष्ट रूप में भिजवाएंगे।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित

रिकॉर्ड रखने के लिए, सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

5. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाः—

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/— से कम हो। उन्हें सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जायेगी। विभिन्न श्रैणी के देय दर अलग—अलग है।

Rate of Scholarship			
Group	Course	Monthly Rates	
		Day Scholars	Hostellers
Group I	(i) Degree and P.G Level Courses (Including M.Phil., Ph.D. and Doctoral research) in Medicines (Allopathic, Indian and other recognized system of medicines) , Engineering , Technology, Agriculture, Veterinary and Allied Sciences, Management, Business Finance, Business Administration and Computer Applications. (ii) Commercial Pilot Licence (Including helicopter Pilot and Multi Engine rating) course. (iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of multiengine rating) course. (iv) CA. / ICWA / CS / I.C.F.A etc. (v) M.Phil., Ph.D. and Post-Doctoral Programmes (D.Litt., D.Sc., etc.) In existing Group II courses In existing Group III courses (vi) L.L.M.	₹550	₹1,200
Group II	(i) Graduate / Post Graduate courses leading to Degree, Diploma, certificate in areas like Pharmacy (B Pharma) Nursing (B Nursing), LLB, BFS, others para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc. Mass Communication Hotel Management & Catering, Travel / tourism / Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Arts, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). (ii) Post Graduate courses not covered under Group-I e.g. M.A. / M.Sc. / M. Ed. / M. Pharma etc.	₹530	₹820
Group III	All other courses Leading to a graduate or above Degree (not covered in Group I&II).	₹300	₹570
Group IV	All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificates (class XI and XII, both general and	₹230	₹380

	vocational stream, ITI courses, three years diploma courses in Polytechnics, etc.		

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा रिकॉर्ड के लिए, अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा (यदि सरकारी महाविद्यालय हो) या उसे सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (यदि सरकारी/निजी विद्यालय हो) और इस निदेशालय को (यदि विश्वविद्यालय/निजी महाविद्यालय/व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान/अन्य शिक्षा संस्थान हो) प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

6. अनुसूचित जन–जाति वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाः–

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अनुसूचित जन–जाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/– से कम हो। उन्हें सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जायेगी। विभिन्न श्रेणी के देय दर अलग–अलग है।

Rate of Scholarship

Group	**Course**	**Monthly Rates**	
		Day Scholars	**Hostellers**
Group I	(i) Degree and P.G Level Courses (Including M.Phil., Ph.D. and Doctoral research) in Medicines (Allopathic, Indian and other recognized system of medicines) , Engineering , Technology, Agriculture, Veterinary and Allied Sciences, Management, Business Finance, Business Administration and Computer Applications. (ii) Commercial Pilot Licence (Including helicopter Pilot and Multi Engine rating) course. (iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of multiengine rating) course. (iv) CA. / ICWA / CS / I.C.F.A etc. (v) M.Phil., Ph.D. and Post-Doctoral Programmes (D. Litt., D.Sc., etc.) In existing Group II courses In existing Group III courses (vi) L.L.M.	₹550	₹1,200
Group II	(i) Graduate / Post Graduate courses leading to Degree, Diploma, certificate in areas like Pharmacy (B Pharma) Nursing (B Nursing), LLB, BFS, others para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc. Mass Communication Hotel Management & Catering, Travel / tourism / Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Arts, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). (ii) Post Graduate courses not covered under Group-I e.g. M.A. / M.Sc. / M. Ed. / M. Pharma etc.	₹530	₹820

Group III	All other courses Leading to a graduate or above Degree (not covered in Group I&II).	₹300	₹570
Group IV	All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificates (class XI and XII, both general and vocational stream, ITI courses, three years diploma courses in Polytechnics, etc.	₹230	₹380

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा रिकॉर्ड के लिए, अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा (यदि सरकारी महाविद्यालय हो) या उसे सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (यदि सरकारी/निजी विद्यालय हो) और इस निदेशालय को (यदि विश्वविद्यालय/निजी महाविद्यालय/व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान/अन्य शिक्षा संस्थान हो) प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

7. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाः—

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/प्राईवेट संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹100000/— से कम हो। उन्हें सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस की अदायगी नियमानुसार की जायेगी। विभिन्न श्रेणी के देय दर अलग—अलग है।

Rate of Scholarship			
Group	Course	Monthly Rates	
		Day Scholars	Hostellers
Group I	(i) Degree and P.G Level Courses (Including M.Phil., Ph.D. and Doctoral research) in Medicines (Allopathic, Indian and other recognized system of medicines) , Engineering , Technology, Agriculture, Veterinary and Allied Sciences, Management, Business Finance, Business Administration and Computer Applications. (ii) Commercial Pilot Licence (Including helicopter Pilot and Multi Engine rating) course. (iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of multiengine rating) course. (iv) CA. / ICWA / CS / I.C.F.A etc. (v) M.Phil., Ph.D. and Post-Doctoral Programmes (D. Litt., D.Sc., etc.) In existing Group II courses In existing Group III courses (vi) L.L.M.	₹350	₹750

Group II	(i) Graduate / Post Graduate courses leading to Degree, Diploma, certificate in areas like Pharmacy (B Pharma) Nursing (B Nursing), LLB, BFS, others para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc. Mass Communication Hotel Management & Catering, Travel / tourism / Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Arts, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). (ii) Post Graduate courses not covered under Group-I e.g. M.A. / M.Sc. / M. Ed. / M. Pharma etc.	₹325	₹510
Group III	All other courses Leading to a graduate or above Degree (not covered in Group I&II).	₹210	₹400
Group IV	All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificates (class XI and XII, both general and vocational stream, ITI courses, three years diploma courses in Polytechnics, etc.	₹160	₹260

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा रिकॉर्ड के लिए, अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा (यदि सरकारी महाविद्यालय हो) या उसे सम्बन्धित उप शिक्षा निदेशक को (यदि सरकारी/निजी विद्यालय हो) और इस निदेशालय को (यदि विश्वविद्यालय/निजी महाविद्यालय/व्यवसायिक या तकनीकि शिक्षा संस्थान/अन्य शिक्षा संस्थान हो) प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा/संस्थान को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के छात्र/छात्राओं को योग्यतास्तर बढ़ाने की योजनाः–

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत रा0व0मा0पा0 भरमौर, चम्बा, की 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, 6 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जन–जाति से सम्बन्धित (कुल 7) विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की वरियता सूचि के आधार पर छात्रवृति की राशि प्रदान की जाती है। इस छात्रवृति की राशि कक्षा 9वीं से 10+2 तक देय होगी।

Rates of Scholarship		
S. N.	***Particulars***	***Rate***
I.	*For Fee & Stationery*	*₹2500/- p.a.*
II.	*For Boarding & Lodging*	*₹700/- p.a.*
III.	*Out of Pocket Allowance*	*₹200/- p.a.*

इसके अतिरिक्त, इन छात्र/छात्राओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को ₹8000/– प्रति सत्र प्रति छात्र/छात्रा की दर से, मानदेय भी दिया जाएगा।

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित

रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

9. अल्प सख्यंक वर्ग के लिए मैरिट–कम–मीन्ज छात्रवृति योजनाः–

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी **अल्प सख्यंक समुदाय (मुस्लिम – 39, सिक्ख – 24, ईसाई – 03, बौद्व – 24, कुल = 90)** के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता–पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹250000/– से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा छात्र/छात्रा मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों। केवल उन आवेदकों के छात्रवृति आवेदन पत्र 2013–14 में नवीनीकरण हेतु स्वीकार किए जाऐंगे, जिन्हें 2012–13 में इन योजनाओं के अर्न्तगत छात्रवृति राशि आवंटित की गई है।

Rates of Scholarship			
S. N.	***Type of Financial Assistance***	***Hostlers***	***Day Scholars***
1.	*Maintenance Allowance (For 10 months only)*	*₹10000/-per annum (Rs.1000 p.m.)*	*₹5000/- per annum. (Rs.500 p.m.)*
2.	*Course Fee**	*₹20000/- per annum or Actual whichever is less*	*₹20000/- per annum or Actual whichever is less*
Total		*₹30,000/-*	*₹25,000/-*

** Full course fee will be reimbursed for the following institutions of Himachal Pradesh:*

(i) National Institute of Technology, Hamirpur – 177001.

(ii) Indian Institute of Technology, Mandi.

इस छात्रवृति योजना के अर्न्तगत कोई भी ऑफलाईन आवेदन पत्र इस निदेशालय में मानय नहीं होगा, तथा पात्र छात्र/छात्राओं को www.momascholarship.gov.in वेबसाईट पर, छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन निर्धारित समय सीमा में करना होगा (केवल सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित छायाप्रति इस निदेशालय में स्वीकार्य होगी)।

नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है (मैरिट–कम–मीन्ज़): –			
क्र0 सं0	**कार्य**	**अंतिम तिथि (नवीन)**	**अंतिम तिथि (नवीनीकरण)**
5.	छात्र/छात्राओं द्वारा नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि	30–09–2013	31–12–2013
6.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित मुद्रित प्रति सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से राज्य विभाग को जमा करवाने की अंतिम तिथि	10–10–2013	10–01–2014
7.	सम्बन्धित संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करने की अंतिम तिथि	20–10–2013	15–01–2014

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपने स्तर*

पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।

10. अल्प सख्यंक वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाः–

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी **अल्प सख्यंक समुदाय (मुस्लिम – 324, सिक्ख – 199, ईसाई – 25, बौद्ध – 199, पारसी – 2, कुल = 749)** के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता–पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹200000/– से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। छात्र/छात्रा सरकारी/गैर सरकारी वरि0 मा0 पाठशाला/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से **11वीं से पी0 एच0 डी0 पाठ्यक्रम** तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हों **या तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम**, जो कि एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त हो, कर रहे हों।

Rates of Scholarship			
S. N.	***Item***	***Hostellers***	***Day Scholars***
1.	*Admission and tution fees for classes XI and XII*	*Actual subject to a maximum ceiling of ₹7000 p.a.*	*Actual subject to a maximum ceiling of ₹7000 p.a.*
2.	*Admission and course/tuition fee for technical and vocational courses of XI and XII level. (Includes fees/charges for raw materials, etc.)*	*Actual subject to a maximum ceiling of ₹10000 p.a.*	*Actual subject to a maximum ceiling of ₹10000 p.a.*
3.	*Admission and tuition fee for under-graduate, post graduate.*	*Actual subject to a maximum ceiling of ₹3000 p.a.*	*Actual subject to a maximum ceiling of ₹3000 p.a.*
4.	***Maintenance allowance for 10 months only in an academic year (Includes expenses for study material, etc.):***		
	(i) Classes XI and XII including technical and vocational courses of this level	*₹380 p.m.*	*₹230 p.m.*
	(ii) Courses other than technical and professional courses at under-graduate and post graduate level	*₹570 p.m.*	*₹300 p.m.*
	(iii) M. Phil and Ph.D. (For those researchers who are not awarded any fellowship by university or any other authority)	*₹1200 p.m.*	*₹550 p.m.*

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत कोई भी ऑफलाईन आवेदन पत्र इस निदेशालय में मानय नहीं होगा, तथा पात्र छात्र/छात्राओं को www.momascholarship.gov.in वेबसाईट पर, छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन निर्धारित समय सीमा में करना होगा (केवल सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित छायाप्रति इस निदेशालय में स्वीकार्य होगी)।

नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है (मैट्रिकोत्तर छात्रवृति): –			
क्र0 सं0	कार्य	अंतिम तिथि (नवीन)	अंतिम तिथि (नवीनीकरण)
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि	30–09–2013	31–12–2013
2.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित मुद्रित प्रति सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से राज्य विभाग को जमा करवाने की अंतिम तिथि	10–10–2013	20–12–2013
3.	सम्बन्धित संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करने की अंतिम तिथि	20–10–2013	31–12–2013

छात्र/छात्रा को छात्रवृति के लिए सफलतापूर्ण ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने संस्थान प्रमुख को जमा करवानी होगी, जो उसे ऑनलाईन जांच तथा सुरक्षित रिकॉर्ड रखने के लिए, इस निदेशालय को प्रेषित करेगा। *यदि संस्थान प्रमुख के कार्यालय में कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो निर्देश दिये जाते हैं कि वह ऐसे सभी आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा को अपने स्तर पर लौटा दें, तथा प्रषक को निर्देश दें कि वह छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति को इसी माध्यम से जमा करवाएं।*

---

11. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना (अल्प सख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए):–

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी **अल्प सख्यक समुदाय (मुस्लिम – 08, सिक्ख – 04, ईसाई – 02, बौद्ध – 04, कुल = 18)** की उन छात्राओं को देय होगी, जिनके माता–पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹100000/– से अधिक न हो व हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की परीक्षा में में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों।

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹12000/– देय होंगे, जो कि ₹6000/– की दो बराबर किस्तों में दिये जायेंगे। पहली किस्त छात्रवृति की स्वीकृति पर देय होगी तथा दूसरी किस्त छात्रा द्वारा 10+1 कक्षा की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात् 10+2 कक्षा में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र संस्था के कार्यालय में जमा करने पर देय होगी।

---

12. राष्ट्रीय मीन्ज–कम–मैरिट छात्रवृति:–

इस योजना के अन्तर्गत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को कक्षा 8वीं के बाद विद्यालय त्यागने से रोकने और माध्यमिक स्तर की शिक्षा सम्पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टी से छात्रवृति दी जाती है। यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी, जिनके माता–पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹150000/– से अधिक न हो। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, पात्र छात्र/छात्राओं का चयन एस0सी0ई0आर0टी0, सोलन, द्वारा संचालित परीक्षा के माध्यम से हर वर्ष अगस्त माह में किया जाता है। चयनित छात्र/छात्राओं को ₹6000/– प्रतिवर्ष (₹500/– प्रतिमाह) की दर से किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/स्थानिय पाठशाला में कक्षा 9वीं से 10+2 तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाती है। छात्रवृति का नवीनीकरण कक्षा 9वीं से 10+2 तक छात्र/छात्रा द्वारा पिछली कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्, अच्छे आचरण तथा नियमित उपस्थिति पर देय होगा। आवेदन पत्र प्राचार्य, एस0सी0ई0आर0टी0, सोलन, के माध्यम से मानव संसाधन मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवमं साक्षरता विभाग, भारत सरकार को भेजे जाते है।

---

13. विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति:–

I. छात्रवृत्ति योजना (ट्रस्ट फंड):–

इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक/स्नातकोत्त्र स्तर के व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 1000 पात्र विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती

है। पात्र छात्र वर्ष के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन (www.nhfdc.nic.in) आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस पत्ते पर जमा कर सकते हैं: – **“National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), Red Cross Bhawan, Sector-12, Faridabad – 121007”.** अप्रत्यपर्णीय फीस की प्रतिपूर्ति इसी तरह के पाठ्यक्रम तक सिमित रहेगी। लाभार्थी / अभिभावक / संरक्षक की सभी स्त्रातों से मासिक आय ₹25000/– (₹3.00 लाख प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रवृति की दर		
विवरण	स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए	स्नातकोत्त्र स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए
एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति	₹2500/– प्रतिमाह	₹3000/– प्रतिमाह
पुस्तक एवं लेखन–सामग्री भत्ता	₹6000/– प्रतिवर्ष	₹10000/– प्रतिवर्ष

II. छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय फंड):–

इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 वर्ष से अधिक अवधि के डिग्री और पोस्ट मैट्रिक स्तर के व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 500 पात्र विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। पात्र छात्र ऑनलाइन (www.nhfdc.nic.in) आवेदन कर सकते हैं, और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस पत्ते पर जमा कर सकते हैं: – **“National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC), Red Cross Bhawan, Sector-12, Faridabad – 121007”.** लाभार्थी / अभिभावक / संरक्षक की सभी स्त्रातों से मासिक आय ₹15000/– (₹1.80 लाख प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रवृति की दर			
विवरण		डिपलोमा / सर्टिफिकेट स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए	स्नातक और ऊपर के स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए
छात्रवृति की राशि	दिवा छात्र/छात्रा को	₹400/– प्रतिमाह	₹700/– प्रतिमाह
	छात्रावासी छात्र/छात्रा को	₹700/– प्रतिमाह	₹1000/– प्रतिमाह
पाठ्यक्रम फीस (अधिकतम)		₹10000/– प्रतिवर्ष	

अधिक जानकारी के लिए इस निदेशालय की वेबसाईट www.educationhp.org पर लॉगऑन करें।

(दिनकर बुराथोकी)
शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।